रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 352] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 10, 2003/चैत्र 20, 1925

No. 352] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 2003/CHAITRA 20, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2003

का.आ. 430(अ).—केन्द्र सरकार चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

(1)(1) इस आदेश का नाम चाय (विपणन) नियंत्रण द्वितीय संशोधन आदेश 2003 है ।

(2) यह आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा ।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (जिसे एतद्पश्चात उक्त आदेश कहा गया है)पैराग्राफ 2 में-

(क) उपपैराग्राफ (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात

'(i) " विनिर्माता " से ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगमित निकाय, कोआपरेटिव सोसाइटी

इत्यादि अभिप्रेत है जो किसी फैक्टरी, जिसमें एस्टेट फैक्टरियां, क्रीतपत्ती फैक्टरियां तथा सहकारी फैक्टरियां शामिल हैं, में हरी चाय एवं इन्सटेंट चाय ,सहित कैमीलिया सिनेसिस(एल)ओ कुंटजे से चाय का विनिर्माण करता है अथवा जो वाणिज्यिक रुप से चाय के नाम से ज्ञात चाय के मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे पैकेट टी, टी बैग, फ्लैवर्ड टी और क्विक ब्रूइंग ब्लैक टी का उत्पादन करता है ।'

(ख) उप पैराग्राफ (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्-

'(ड) " क्रेता " से ऐसे किसी परेषिती अथवा कमीशन एजेंट सहित ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगमित निकाय, कोआपरेटिव सोसाइटी इत्यादि अभिप्रेत है जो भारत में चाय का कारोबार स्थल रखने वाले विनिर्माता से स्टॉक के हस्तांतरण के रुप में चाय प्राप्त करता है, सार्वजनिक चाय नीलामियों अथवा सीधे चाय विनिर्माताओं से चाय की खरीद अथवा प्रापण के कार्यों में लगा हुआ है किन्तु इनमें ऐसे क्रेता शामिल नहीं हैं जो केवल इन्स्टेंट चाय तथा चाय के अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों अर्थात् टी बैग, पैकिट टी, फ्लैवर्ड टी, क्विक ब्रुंइग ब्लैक टी इत्यादि की खरीद करते हैं और इनमें द्वितीयक क्रेता भी शामिल नहीं है जो नीलामियों अथवा विनिर्माताओं से चाय प्राप्त नहीं करते हैं; '

उप- में पैराग्राफ (द) के स्थान पर निम्मिलखित उप पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

' (द) " पैकेट टी " से इकाई पैकों/अथवा इस प्रकार के कंटेनरों में पैक की हुई चाय अभिप्रेत है जो साधारणतः किसी ब्रांड के नाम के अंतर्गत खुदरा बिक्री के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं और इसमें दो पैकों के एक साथ् पैक बनाए गए " जोटा " के रुप में ज्ञात पैकेज शामिल नहीं है जिनमें मूल पैक यूनिट में निहित चाय का निवल भार एक किग्रा0 से अधिक नहीं है और इसमें खुदरा व्यापारी के खुदरा व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में खुली चाय की पैकिंग शामिल नहीं है ।'

3. उक्त आदेश में, पैराग्राफ 3 के उप-पैराग्राफ 2 में " व्यक्ति " शब्द के स्थान पर विनिर्माता" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. उक्त आदेश में, पैराग्राफ 4 में दोनों स्थानों में उल्लिखित व्यक्ति " शब्द के स्थान पर" क्रेता" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. उक्त आदेश में, पैराग्राफ 5 में खंड च के बाद निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा,अर्थात्

" (छ) यदि रजिस्ट्री प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त विनिर्माता ऐसे

अनुचित व्यापार व्यवहारों में सम्मिलित है जिनसे सार्वजनिक चाय नीलामी प्रणाली सहित विपणन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।"

6. उक्त आदेश में, पैराग्राफ 7 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्

" विवरणियां प्रस्तुत करना- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता रजिस्ट्री प्राधिकारी को प्रारुप " ड. " में एक मासिक विवरणी अथवा ऐसी अन्य सूचना देगा जो रजिस्ट्री प्राधिकारी, विशेष या साधारण आदेश द्वारा समय-समय पर मांगे ।

(2) प्रत्येक रजिस्टर्ड क्रेता रजिस्ट्री प्राधिकारी को प्रारुप " च " में एक तिमाही विवरणी अथवा ऐसी अन्य विवरणी भेजेगा जिसे रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा समय-समय पर मांगा जाए ।"

7. उक्त आदेश में, पैराग्राफ 17 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्-

" 17. फीस- लाइसेंस जारी करने अथवा उसके रजिस्ट्रीकरण अथवा नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ नीचे विनिर्दिष्ट फीस भेजी जाएगी:-

लाइसेंस जारी करने के लिए	2500/-रु0
रजिस्ट्रीकरण के लिए	2500/-रु0
लाइसेंस के नवीकरण के लिए	500/-रु0

परन्तु एक से अधिक विनिर्माण एकक रखने वाला कोई विनिर्माता प्रत्येक विनिर्माण एकक के पंजीकरण हेतु अलग से आवेदन प्रस्तुत करेगा:

परन्तु यह और कि एक से अधिक कार्यालय अथवा शाखा रखने वाला कोई क्रेता अपने समस्त कार्यालयों अथवा शाखाओं के पतों का उल्लेख करते हुए केवल एक आवेदन प्रस्तुत करेगा

परन्तु यह भी कि केवल 2,500 रु0 के पंजीकरण फीस का भुगतान एक ही आवेदक द्वारा किया जाएगा भले ही उसके द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदनों की संख्या कुछ भी हो ।

परन्तु यह भी कि ऐसा विनिर्माता, क्रेता, नीलामी आयोजनकर्ता अथवा दलाल, जिन्होंने इस आदेश के लागू होने से पूर्व पंजीकरण अथवा लाइसेंस प्राप्त कर लिया है अथवा उसके लिए आवेदन किया है, इस आदेश के तहत अब विनिर्दिष्ट की जा रही धनराशि से अधिक भुगतान की गई राशि की वापसी का हकदार होगा ।"

8. उक्त आदेश में पैराग्राफ 30 के उप-पैराग्राफ (1) के दूसरे परन्तुक को हटा दिया जाएगा ।

9. उक्त आदेश में पैराग्राफ 22 के उप-पैराग्राफ (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्-

" (1) रजिस्ट्री प्राधिकारी के किसी निर्देश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत क्रेता इस आदेश के प्रारंभ की तारीख को और उस तारीख से इस आदेश के प्रावधानों के तहत ऐसा करने के लिए लाइसेंसशुदा चाय नीलामियों के आयोजनकर्ताओं के नियंत्रण तथा तत्वावधान में भारत में आयोजित सार्वजनिक चाय नीलामियों के जरिए चाय की अपनी कुल खरीद के ऐसे प्रतिशत जैसा कि किसी कैलेण्डर वर्ष में रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए अथवा ऐसी अवधि के लिए जैसा कि उक्त निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाए, की खरीद करेगा

बशर्ते कि ऐसा प्रतिशत केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।"

10. उक्त आदेश में, पैराग्राफ 23 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्-

" 23. सार्वजनिक नीलामी से बाहर चाय की बिक्री-प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता जो सार्वजनिक चाय नीलामी से बाहर चाय की बिक्री करते हैं, वे ऐसा केवल रजिस्ट्रीकृत क्रेताओं अथवा अपने खुद के खुदरा केन्द्रों अथवा ब्रांचों के जरिए सीधे उपभोक्ताओं अथवा सीधे निर्यातों के रुप में कर सकते हैं और ऐसी बिक्रियों की सूचना प्रपत्र " ड." में मासिक विवरणी के जरिए रजिस्ट्री प्राधिकारी को दी जाएगी"

11. उक्त आदेश में, पैराग्राफ 29 में उल्लिखित " जो कार्यकारी निदेशक के स्तर से कम का नहीं होगा " शब्दों को " जो सहायक विकास अधिकारी के स्तर से कम नहीं होगा " शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः

12. उक्त आदेश में पैरग्राफ 30 के उप-पैराग्राफ (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्-

" (2) लघु उत्पादकों को संदेय चाय पत्तियों की उचित कीमत का निर्धारण रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता द्वारा प्राप्त बिक्री आय को ध्यान में रखते हुए और रजिस्ट्री कार्यकारी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए तथा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्री प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से कार्यान्वित किए गए फार्मूले के अनुसार किया जाएगा"

13. उक्त आदेश में, पैराग्राफ 31 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को जोड़ा जाएगाः

" 32. ढील देने की शक्ति - केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्री अथवा लाइसेंसिंग प्राधिकारी स्वयं अथवा किसी विनिर्माता अथवा क्रेता अथवा लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस आदेश के संगत प्रावधानों में से किसी का अनुपालन करने में लिखित में दर्ज किए गए कारणों से किसी विनिर्माता अथवा क्रेता अथवा लाइसेंसी को अनावश्यक कठिनाई होगी तो वह इस आदेश के ऐसे प्रावधानों में से किसी प्रावधान में ढील दे सकता है अथवा किसी विनिर्माता अथवा क्रेता अथवा लाइसेंसी अथवा विनिर्माताओं अथवा क्रेताओं अथवा लाइसेंसी की किसी श्रेणी को इस आदेश के ऐसे प्रावधानों के अनुपालन से छूट प्रदान कर सकता है ।"

14. उक्त आदेश में, विद्यमान प्रपत्र " ड" और प्रपत्र " च " को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात-

प्रारुप " ड. " (पैराग्राफ 9(1),13 और 17 देखिए)

इन्स्टेंट टी विनिर्माताओं के अलावा रजिस्टर्ड विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विवरणी

.... मास की विवरणी

1. विनिर्माण एकक का नाम

2. पता

3. विनिर्माण एकक के स्वामी का नाम

4. टीएमसीओ के अधीन चाय बोर्ड का पंजीकरण

5. बागान जिला,

6. राज्य

7. केन्द्रीय उत्पाद नियंत्रण कोड/रजि0सं0

8. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन

9. टी.डब्ल्यू सी ओ के अधीन
   चाय अपशिष्ट लाइसेंस सं0

10. उत्पादक संघ का नाम
    जिसका सदस्य है
    और सदस्यता सं0 यदि कोई है

11. क्या परिसंपदा अथवा क्रीत पत्ती(कोआपरेटिव सहित)
    फैक्टरी है ।

12. फैक्टरी के परिसर में खुली तथा
    तैयार चाय का आदि स्टाक (किग्रा0 में)

चाय के प्रकार	सी.टी.सी	परम्परागत	हरी	कार्बनिक	कुल
खुली					
पैकेट					

13. मास के दौरान हरी चाय के विवरण (आंकड़े किग्रा0 में)

अपने बागान से प्राप्त की गयी मात्रा	बाहर से खरीदी गयी मात्रा	खरीदी गई कुल मात्रा	चाय का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त की गयी मात्रा

14. मास के लिए प्रदत्त प्रति कि0ग्रा0 औसत चाय पत्ती की कीमत क्रीत पत्ती के संबंध में

15. माह के दौरान विनिर्मित चाय की मात्रा (हजार कि0ग्रा0 में)

(हरी चाय में से)जिसमें अपने बाग की चाय की पत्तियां तथा खरीदी गयी पत्तियां शामिल हैं

..............माह के दौरान				(जनवरी से...........)			
सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल

16. कालम 15 में दर्शाई गई कुल विनिर्मित चाय के अतिरिक्त उत्पादित उपभोक्ता पैकों (किग्रा0) में मूल्यवर्द्धित चाय की मात्रा एवं मूल्य

..............माह के दौरान				(जनवरी से...........)			
सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	कुल

17. चाय अपशिष्ट के विवरण (आंकड़े किग्रा0 में)

आदि शेष	माह के दौरान उत्पादित मात्रा	माह के दौरान निपटाई गयी मात्रा	इति शेष

18. प्रदत्त उत्पाद शुल्क : दर प्रति किग्रा. प्रदत्त कुल राशि

19. चाय अधिनियम, 1953 के : दर प्रति किग्रा. प्रदत्त कुल राशि
अंतर्गत दिया गया उपकर

20. अनैसर्गिक चाय अपशिष्ट की
बिक्री (आंकड़े कि0ग्रा0)

बेची गयी मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकारी पत्र सं0 और तारीख	क्रेताओं के नाम तथा उनका चाय अपशिष्ट लाइसेंस सं0

21. चाय अपशिष्ट का विगुणन करना (आंकड़ें कि0ग्रा0 में)

विकृत की गयी मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकारी पत्र सं0 और तारीख	वे नाम तथा पदनाम जिनके समक्ष निष्पादित करना है ।

22. अनैसर्गिक चाय अपशिष्ट की बिक्री (किग्रा0 में)

बेची गयी मात्रा	तारीख	क्रेताओं के नाम

23. कम्पोस्ट के रुप में चाय अपशिष्ट का परिवर्तन

मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकरण पत्र संख्या और तारीख	अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिसके समक्ष निष्पादित करना है ।

24. चाय अपशिष्ट को नष्ट करना (आंकड़े किग्रा0 में)

मात्रा	तारीख	चाय बोर्ड प्राधिकरण पत्र संख्या और तारीख	अधिकारी का नाम तथा पदनाम जिसके समक्ष निष्पादित करना है ।

25. मास के दौरान बिक्रियां

क) नीलामी के जरिए

i) बेची गई मात्रा

					बेची गयी मात्रा (किग्रा0)				
नीलामी केन्द्र का नाम	सी.टी.सी.		परम्परागत		दार्जिलिंग लीफ डस्ट		हरी चाय	अन्य (उल्लेख करें)	कुल
कोलकाता	लीफ	डस्ट	लीफ	डस्ट	लीफ	डस्ट			
गुवाहाटी									
सिलीगुड़ी									
अमृतसर									
कोचीन									
कूनूर									
कोयम्बटूर									

अन्य उल्लेख करें									
जोड़									

ii) कीमत वसूली

					रु0/किग्रा0 में कीमत वसूली				
नीलामी केन्द्र का नाम	सी.टी.सी.		परम्परागत		दार्जिलिंग लीफ डस्ट		हरी चाय	अन्य (उल्लेख करें)	कुल
कोलकाता	लीफ	डस्ट	लीफ	डस्ट	लीफ	डस्ट			
गुवाहाटी									
सिलीगुड़ी									
अमृतसर									
कोचीन									
कूनूर									
कोयम्बटूर									
अन्य उल्लेख करें									
जोड़									

(ख) **प्रत्यक्ष निर्यात**

चाय के प्रकार	............................मास के दौरान	
खुली चाय	मात्रा (किग्रा0 में)	वसूल की गयी कीमत (रु0 प्रति कि0ग्रा0)
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

(ग) भारत में नीलामियों के अलावा विपणन

i) रजिस्टर्ड क्रेताओं को की गयी बिक्री

चाय के प्रकार	............................मास के दौरान	
खुली चाय	मात्रा (किग्रा0 में)	वसूल की गयी कीमत (रु0 प्रति कि0ग्रा0)
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

ii) अपने खुदरा केन्द्रों के जरिए उपभोक्ताओं को की गई बिक्री

चाय के प्रकार	...........................मास के दौरान	
खुली चाय	मात्रा (किग्रा0 में)	वसूल की गयी कीमत (रु0 प्रति कि0ग्रा0)
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

iii) परेषिती/कमिशन एजेंटों को हस्तांतरित किया गया स्टाक

चाय के प्रकार	...........................मास के दौरान	
खुली चाय	मात्रा (किग्रा0 में)	वसूल की गयी कीमत (रु0 प्रति कि0ग्रा0)
पैकेट वाली चाय		
चाय बैग		

बेची गई मात्रा का कुल योग (क + ख + ग)

घ. कर्मचारियों को उपहार (किग्रा0 में)

26. माह के अंत में अंतिम/नहीं बेचा गया स्टाक(किग्रा0 में)

चाय के प्रकार	सी.टी.सी.	परम्परागत	हरी	अन्य(उल्लेख करें)	कुल
खुली चाय					
पैकेट वाली चाय					
टी बैग					

27. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उन रजिस्टर्ड क्रेताओं की सूची जिन्हें चाय बेची गई/नीलामी से बाहर परेषित की गईः

चाय के पंजीकृत क्रेता का नाम	पता	पंजीकरण सं0	क्रेता को बेची गई/हस्तांतरित की गई मात्रा(किग्रा0)	वह स्थान जहां से चाय बेची/हस्तांतरित की गई	बिक्री कर को छोड़कर कुल मूल्य वसूली(रु0)

1068GI/03-2

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरणी में दी गयी जानकारी जिसके अंतर्गत आंकड़े, भी हैं सही है और उसका सत्यापन अभिलेखों से किया जा सकता है ।

स्थानः.......................... हस्ताक्षर
तारीख......................... प्राधिकृत प्रतिनिधि

प्रारुप-च
(पैराग्राफ 9(2)और 18 देखें)

.....................से....................की अवधि के लिए रजिस्टर्ड क्रेता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

1. फर्म/कंपनी इत्यादि का नाम

2. रजिस्टर्ड आफिस का पता, दूरभाष/ फैक्स नं0/ई मेल के साथ

3. टीएमसीओ के अंतर्गत चाय बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नं0

4. *...........रिपोर्टाधीन अवधि के शुरु में गोदामों में चाय का आरंभिक स्टॉक (किग्रा0 में)

	(आंकड़े किग्रा0 में)					
चाय के प्रकार	सी.टी.सी.	परम्परागत	दार्जिलिंग	हरा	अन्य	कुल
खुली चाय						
पैकेट						
टी बैग						

5. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बल्क में खरीदी गयी/प्रापण की गई चाय की मात्रा (किग्रा0 में) और औसत कीमत(रु0/किग्रा0 में)

क. नीलामी से खरीद

	(आंकड़े किग्रा0 में)											
चाय के प्रकार	सी.टी.सी.		परम्परागत		दार्जिलिंग		हरा		अन्य		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लीफ												
डस्ट												

ख. नीलामी से इतर स्रोतों से की गई खरीद

	(आंकड़े किग्रा0 में)											
चाय के प्रकार	सी.टी.सी.		परम्परागत		दार्जिलिंग		हरा		अन्य		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लीफ												
डस्ट												

ग. घरेलू बिक्री के लिए आयातों के जरिए की गई खरीद

	(आंकड़े किग्रा0 में)											
चाय के प्रकार	सी.टी.सी.		परम्परागत		दार्जिलिंग		हरा		अन्य		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लीफ												
डस्ट												

घ. अपने बागान/फैक्टरी से प्रापण

	(आंकड़े किग्रा0 में)											
चाय के प्रकार	सी.टी.सी.		परम्परागत		दार्जिलिंग		हरा		अन्य		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लीफ												
डस्ट												

6. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पैकेट टी, टी बैग, इंस्टैंट टी, फ्लेवर टी और क्विक ब्रूइंग ब्लैक टी के रुप में उत्पादित चाय की मात्रा

चाय के प्रकार	................अवधि मात्रा किग्रा0 में
पैकेट टी	
टी बैग	
इंस्टैंट टी	
फ्लेवर टी	
क्विक ब्रूइंग टी	

7. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान चाय का विपणन

(क) घरेलू बिक्रीः

चाय के प्रकार	................अवधि	
	मात्रा किग्रा0 में	कीमत प्राप्ति (रु0/किग्रा0 में)
खुली चाय		
पैकेट टी		
टी बैग		
इंस्टैंट टी		
फ्लेवर टी		
क्विक ब्रूइंग टी		

(ख) निर्यात

चाय के प्रकार	................अवधि			
खुली चाय	मात्रा (किग्रा0 में)	मूल्य (रु0 में)	इकाई कीमत (रु0/किग्रा0 में)	
पैकेट टी				
टी बैग				
इंस्टैंट टी				
फ्लेवर टी				
क्विक ब्रूइंग टी				

8. स्टॉक के आरक्षित कीमत के रुप में परेषिती/कमीशन एजेंटों के द्वारा प्राप्त की गई मात्रा

	(आंकड़े किग्रा0 में)											
चाय के प्रकार	सी.टी.सी.		परम्परागत		दार्जिलिंग		हरा		अन्य		कुल	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
लीफ												
डस्ट												

9. परेषिती/कमीशन एजेंट द्वारा नीचे यथा निर्धारित अतिरिक्त सूचना को प्रस्तुत किया जाएगाः

परेषिती का नाम	चाय के प्रकार सीटीसी, लीफ/डस्ट, परम्परागत पत्ती/डस्ट, दाजिलिंग पत्ती/डस्ट ग्रीन	रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्राप्त की गई मात्रा	रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बेची गई मात्रा	बिक्री कर को छोड़कर कुल मूल्य प्राप्ति	अभ्युक्तियां

घोषणा

मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि उपर्युक्त विवरणी में दी गयी जानकारी जिसके अंतर्गत आंकड़े, भी हैं सही है और उसका सत्यापन अभिलेखों से किया जा सकता है ।

स्थानः..........................
तारीख.........................

हस्ताक्षर
प्राधिकृत प्रतिनिधि

* पहली बार प्रस्तुत की जाएगी ।
जहां लागू हो, सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।

[फा. सं. टी-12014/2/2003-बागान (क)]

एल.वी. सप्तऋषि, अपर सचिव

नोटः 1. मुख्य अधिसूचना दिनांक 1.1.2003 के का.अ.सं0 1(अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
2. चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2003 दिनांक 28.2.2003 के का.आ.सं0 247(अ)के द्वारा जारी की गई थी ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 10th April, 2003

S. O. 430(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (5) of section 30 of the Tea Act 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following amendments further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely: -

1. (1) This Order may be called the Tea (Marketing) Control Second Amendment Order, 2003.

   (2) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003 (hereinafter referred to as the said Order),in paragraph 2 , -

   (a) for sub-paragraph (i), the following sub-paragraph shall be substituted , namely :-

   ' (i) "manufacturer" means any person, firm, Company, corporate body, co-operative society etc., who manufactures tea made from the leaves of Camellia Sinensis (L) O Kuntze, including green tea and instant tea, in a factory, which includes Estate Factories, Bought Leaf Factories and Co-operative Factories, or who produces value added products commercially known as tea viz. packet tea, tea bags, flavoured tea and quick brewing black tea';

   (b) for sub-paragraph (m), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :-

   ' (m) "buyer" means any person, firm, company, corporate body, co-operative society etc., including a consignee or commission agent, who receives tea by way of stock transfer from the manufacturer, with a place of business in tea in India, engaged in purchasing or procuring tea either from public tea auctions or directly from manufacturers of tea but excludes those who buy

only instant tea and other value added products of tea viz. tea bags, packet teas, flavoured tea, quick brewing black tea etc. and also excludes the secondary buyers who do not source their teas either from auctions or from manufacturers';

(c) for sub-paragraph (r), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :-

' (r) "packet tea" means tea packed in unit packs or containers of type as are ordinarily put up for the purpose of retail sale under a brand name and includes packages known as 'Jota' of two packs packed together in which the net weight of tea contained in the basic pack unit does not exceed one kilogram and excludes packing of loose tea in the ordinary course of retail business of the retailer'.

3. In the said Order, in paragraph 3, in sub-paragraph 2, for the word "**person**", the word "**manufacturer**" shall be substituted.

4. In the said Order, in paragraph 4, for the word "**person**" occurring at both the places, the word "**buyer**" shall be substituted.

5. In the said Order, in paragraph 5, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :-

"(g) if the Registering Authority has reason to believe that the manufacturer is indulging in unfair trade practices which may adversely affect the marketing system including the public tea auction system".

6. In the said Order, for paragraph 7, the following paragraph shall be substituted, namely: -

" 7.Filing of Returns –(1) Every registered manufacturer shall furnish to the Registering Authority a monthly return in Form 'E' or such other information as the Registering Authority may, by special or general order, call for from time to time.

(2) Every registered buyer shall furnish to the Registering Authority a quarterly return in Form 'F' or such other information as the Registering Authority may, by special or general order, call for from time to time".

7. In the said Order, for paragraph 17, the following paragraph shall be substituted, namely: -

" 17. Fees - Every application for the issue of a licence or registration or renewal thereof shall be accompanied by fees as specified below: -

For issue of licence	**Rs.2500/-**
For registration	**Rs.2500/-**
For renewal of licence	**Rs. 500/-**

Provided that a manufacturer with more than one manufacturing unit shall submit separate application for registration for each manufacturing unit:

Provided further that a buyer having more than one office or branch shall submit only one application indicating addresses of all its offices or branches:

Provided also that registration fee of Rs 2,500/- only is to be paid by a single applicant irrespective of the number of applications submitted by him for registration:

Provided also that any manufacturer or buyer or auction organiser or broker who has obtained or applied for a registration or licence before the commencement of this Order, would be entitled to refund of the amount paid over and above what is now being specified under this Order".

8. In the said Order, the second proviso to sub paragraph (1) of Paragraph 21 shall be omitted.

9. In the said Order, in paragraph 22, for sub-paragraph (I), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"(1) Every registered buyer, as specified by a direction of the Registering Authority, shall, on and from the date of commencement of this Order, buy such percentage of his total purchase of tea, as may be directed from time to time by the Registering Authority in any calendar year, or such period, as may be specified in the direction, through public tea auctions in India, held under the control or auspices of the organisers of tea auctions licensed to do so under the provisions of this order:

Provided that such percentage is specified by the Registering Authority with the prior approval of the Central Government".

10. In the said Order, for paragraph 23, the following paragraph shall be substituted, namely: -

" 23.Sale of Tea outside public auction - Every registered manufacturer who sells tea outside the public tea auction shall do so only to registered buyers or through his own retail outlets or branches directly to consumers or by way of direct exports and details of such sale shall be intimated to the Registering Authority through the monthly returns in form 'E' ".

11. In the said Order, in paragraph 29, for the words "not below the rank of Executive Director", the words "not below the rank of Assistant Development Officer" shall be substituted.

12. In the said Order, in paragraph 30, for sub- paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

" (2) The reasonable price for tea leaves payable to the small growers shall be determined according to the formula taking into account the sale proceeds received by the registered manufacturer and to be specified by the Registering Authority from time to time and implemented in a manner as determined by the Registering Authority with the prior approval of the Central Government".

13. In the said order, after paragraph 31, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"32. Power to relax. - With the prior approval of Central Government, the Registering or Licensing Authority may, on its own or on an application submitted by a manufacturer or buyer or licensee, if satisfied that in enforcing compliance of any of the provisions of this Order, undue hardship would result to any manufacturer or buyer or licensee, for reasons to be recorded in writing, relax any of such provisions of this Order or exempt any manufacturer or buyer or licensee or any category of manufactures or buyers or licensee from complying with such provisions of this Order".

14. In the said Order, for the existing Form 'E' and Form 'F', the following shall be substituted, namely: -

"FORM – E

Monthly return to be submitted by the Registered manufacturers other than instant tea manufacturers

Return for the month of...

1. Name of the Manufacturing Unit :
2. Address :
3. Name of the Co. owning the Mfg. Unit :

4. Tea Board's Regn. No. under TMCO. :

5. Plantation District :

6. State :

7. Central Excise Control Code/Regn.No. :

8. Central Excise Zone :

9. Tea Waste Lic. No. under TWCO :

10. Name of Producer Assocn. Member of and Membership No., if any. :

11. Whether Estate or Bought-leaf (including Co-operative) Factory

12. Opening Stock of Made Tea (in Kgs) lying in the factory :

Type Of Tea	C.T.C.	Orthodox	Green	Organic	Total
Loose tea					
Packet tea					

13. Green leaf particulars (figures in Kgs.) during the month:

Quantity sourced from own garden	Quantity purchased from outside	Total quantity procured	Quantity used for manufacture of tea

14. Average leaf price per Kg., paid for the month (in respect of Bought-leaf):

15. Quantity of teas (in Th.Kgs.) manufactured during the month (out of total Green leaves which is inclusive of garden own leaves as well as purchased leaves) :

During Month...				(January to ...)			
C.T.C.	Orthodox	Green	Total	C.T.C.	Orthodox	Green	Total

16. Quantity of value added tea in consumer packs (Kgs) produced out of total manufactured tea indicated in column 15 during the month:

During Month...				(January to ...)			
C.T.C.	Orthodox	Green	Total	C.T.C.	Orthodox	Green	Total

17. Particulars of Tea Waste (figures in Kgs):

Opening balance	Quantity generated during the month	Quantity disposed of during the month	Closing balance

18. Excise Duty paid: Rate per Kg Total amount paid

19. Cess paid under Tea Act, 1953: Rate per Kg Total amount paid

20 Sale of un-denatured Tea Waste (figures in Kgs):

Quantity sold	Date	Tea Board Authority, letter Number and date	Names of the buyers and their Tea Waste Licence Number

21 Denaturing of Tea Waste (figures in Kgs):

Quantity denatured	Date	Tea Board Authority, letter Number and date	Name and Designation of official before whom performed.

22. Sale of denatured Tea Waste (figures in Kgs):

Quantity sold	Date	Names of the buyers

23. Conversion of Tea Waste as compost (figures in Kgs):

Quantity	Date	Tea Board Authority, letter Number and date	Name and Designation of official before whom performed.

24 Destruction of Tea Waste (figures in Kgs) :

Quantity	Date	Tea Board,Authority, letter Number and date	Name and Designation of official before whom performed.

25. Sales during the month :

(A) Through Auctions:

(i) Quantity sold

Name of the auction Centre	Quantity sold (In Kgs.)									
	CTC		Orthodox		Darjeeling		Green Tea	Others (Specify)	Total
	Leaf	Dust	Leaf	Dust	Leaf	Dust			
Kolkata									
Guwahati									
Siliguri									
Amritsar									
Cochin									
Coonoor									
Coimbatore									
Others (Specify)									
TOTAL									

(ii) Price realised

Name of the auction Centre	Price realised								(In Rs/ Kgs.)
	CTC		Orthodox		Darjeeling		Green Tea	Others (Specify)	Total
	Leaf	Dust	Leaf	Dust	Leaf	Dust			
Kolkata									
Guwahati									
Siliguri									
Amritsar									
Cochin									
Coonoor									
Coimbatore									
Others (Specify)									
TOTAL									

(B) Direct Exports:

Type of tea	During the month ...	
	Quantity (in Kgs)	Price realised (in Rs. Per Kg)
Loose Tea		
Packet Tea		
Tea Bags		

(C) Marketing out side auction in India

i) Sales to Registered Buyers

Type of tea	During the month ...	
	Quantity (in Kgs)	Price realised (in Rs. Per Kg)
Loose Tea		
Packet Tea		
Tea Bags		

ii) Sales to consumers through own retail outlet

Type of tea	During the month ...	
	Quantity (in Kgs)	Price realised (in Rs. Per Kg)
Loose Tea		
Packet Tea		
Tea Bags		

iii) Stock transfer to consignee/commission Agents

Type of tea	During the month ...	
	Quantity (in Kgs)	Reserve/maximum retail price (n Rs/kg)
Loose Tea		
Packet Tea		
Tea Bags		

GRAND TOTAL OF QUANTITY SOLD (A+B+C) :

D) Gift to employees (kgs)

26. Closing / unsold Stock at the end of the months (In Kgs.):

Type of Tea	C.T.C.	Orthodox	Green Tea	Others(Specify)	TOTAL
Loose Tea					
Packet					
Tea Bags					

27. List of Registered Buyers to whom the tea was sold/consigned outside auction during the month under report.

Name of Registered Buyer	Address	Registration No.	Quantity sold/transferred to buyer(kg)	Place from where tea sold/transferred	Total value realised(Rs) excluding Sales Tax

DECLARATION

I/We hereby certify that the information including figures given in the above return is correct and that they can be verified from the records.

Signature
AUTHORISED REPRESENTATIVE.

Place :
Date :

FORM - F

Return to be submitted by the Registered Buyer for the period From ... to...

1. Name of the Firm/Company etc. :

2.Address of Regd. Office with Telephone / Fax No/E-mail:

3.Tea Board's Regn.No. under TMCO,

4.Opening stock of tea (in kgs) lying in the godown at the beginning of the period under report: *

(Figures in kgs)

Type of Tea	C.T.C	Orthodox	Darjeeling	Green	Others	Total
Loose tea						
Packet tea						
Tea Bags						

5.Quantity (In kgs) and Avg. price (Rs/kg) of teas purchased / procured in bulk during the period under report

a. Purchases from Auctions

Type of Tea	(Figures in kgs.)											
	C.T.C		Orthodox		Darjeeling		Green		Others		Total	
	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty	Price	Qty	Price
Leaf												
Dust												

b. Purchases from sources other than auctions

Type of Tea	(Figures in kgs.)											
	C.T.C		Orthodox		Darjeeling		Green		Others		Total	
	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty	Price	Qty	Price
Leaf												
Dust												

c. Purchases by way of imports for domestic sale

Type of Tea	(Figures in kgs.)									
	C.T.C		Orthodox		Green		Others		Total	
	Qty.	Price	Qty	Price	Qty.	Price	Qty	Price	Qty	Price
Leaf										
Dust										

d. Procurements from Own Garden / Factory

Type of Tea	(Figures in kgs.)											
	C.T.C		Orthodox		Darjeeling		Green		Others		Total	
	Qty.	Price	Qty	Price	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty	Price	Qty	Price
Leaf												
Dust												

6. **Quantity of tea produced in the form of Packet tea, Tea Bags, Instant tea, Flavoured tea and Quick Brewing Black tea during the period under report**

Type of Tea	During ...
	Quantity (in Kgs)
Packet tea	
Tea Bags	
Instant tea	
Flavoured Tea	
Quick Brewing Black tea	

7. **Marketing of Tea during the period under report :**

(A) Domestic Sale :

Type of tea	During ...	
	Quantity (in kgs)	Price realised (in Rs/Kg)
Loose Tea		
Packet Tea		
Tea Bags		
Instant tea		
Flavoured Tea		
Quick Brewing Black tea		

(B) Export :

Type of tea	During ...		
	Quantity (in Kgs)	Value (in Rs.)	Unit Price (Rs/Kg)
Loose Tea			
Packet Tea			
Tea Bags			
Instant tea			
Flavoured Tea			
Quick Brewing Black tea			

8. Quantity received by consignee/commission agents by way of stock transfer and reserve price

Type of Tea	(Figures in kgs.)											
	C.T.C		Orthodox		Darjeeling		Green		Others		Total	
	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty.	Price	Qty.	Price
Leaf												
Dust												

9. Consignee/Commission Agent shall furnish additional information as prescribed below:

Name of the Consignor	Type of teas CTC, Leaf/ Dust, Orthodox Leaf/ Dust, Darjeeling Leaf/ Dust Green	Quantity received during the period under report(kgs)	Quantity sold during the period under report	Total value realised excluding sales tax	Remarks

DECLARATION

I/We hereby certify that the information including figures given in the above return is correct and that they can be verified from the records.

Signature
AUTHORISED REPRESENTATIVE

Place :
Date :

* Shall be submitted for the first time.

The information should be filled in wherever applicable. "

[F. No. T-12014/2/2003-Plant (A)]
L. V. SAPTHARISHI, Addl. Secy.

Foot Note : 1. The principal notification was published vide S.O.No. 1(E) dated 1.1.2003.

2. The Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2003 was published vide S.O.No. 247(E) dated 28.2.2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.